

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक :- 31/7/17

क्रमांक :- मुसप्र/2017/ 449

आदेश

आवासीय अभियंता खण्ड-प्रथम/द्वितीय, ग्यारह एवं खण्ड-तेरह, जयपुर के अधीन इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर के निर्मित/आवंटित अवशिष्ट प्लेटों का उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत्त-तृतीय, जयपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम जयपुर के प्रस्ताव अनुसार एवम् संचालक मण्डल की 229 वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 229.21 में लिये गये निर्णयानुसार खुली बिक्री योजना के नगद भुगतान पद्धती के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद् प्रदान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले प्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.म.	प्लेट संख्या	आय वर्ग	सैक्टर	संबंधित खण्ड
1	12/L/GF/19	LIG	12	प्रथम
2	12/L/GF/68	LIG	12	प्रथम
3	12/L/FF/88	LIG	12	प्रथम
4	12/L/GF/179	LIG	12	प्रथम
5	12/L/GF/241	LIG	12	प्रथम
6	6C/M1/GF/1	MIG-A	6	द्वितीय
7	6C/M1/GF/25	MIG-A	6	द्वितीय
8	6C/M1/GF/27	MIG-A	6	द्वितीय
9	6C/M1/GF/28	MIG-A	6	द्वितीय
10	6C/M1/FF/29	MIG-A	6	द्वितीय
11	6C/M1/FF/31	MIG-A	6	द्वितीय
12	6C/M1/FF/32	MIG-A	6	द्वितीय
13	6C/M1/SF/5	MIG-A	6	द्वितीय
14	6C/M1/SF/34	MIG-A	6	द्वितीय
15	6C/M1/SF/35	MIG-A	6	द्वितीय
16	6C/M1/SF/36	MIG-A	6	द्वितीय
17	6C/M1/TF/8	MIG-A	6	द्वितीय
18	6C/M1/TF/22	MIG-A	6	द्वितीय
19	6C/M1/TF/37	MIG-A	6	द्वितीय
20	6C/M1/TF/38	MIG-A	6	द्वितीय
21	6C/M1/TF/39	MIG-A	6	द्वितीय
22	6C/M1/TF/40	MIG-A	6	द्वितीय
23	6C/M1/FF/4	MIG-A	6	द्वितीय
24	6B/M1/FF/6	MIG-A	6	द्वितीय
25	7D/M1/FF/5	MIG-A	7	द्वितीय
26	5/B/13-TF	MIG-A	5	ग्यारह
27	5/B/19-GF	MIG-A	5	ग्यारह
28	5/B/23-FF	MIG-A	5	ग्यारह
29	5/B/26-SF	MIG-A	5	ग्यारह
30	5/C/27-SF	MIG-A	5	ग्यारह
31	5/C/77-TF	MIG-A	5	ग्यारह
32	10/L/SF-59	LIG	10	ग्यारह
33	10/L/FF-72	LIG	10	ग्यारह
34	10/L/TF-93	LIG	10	ग्यारह
35	4/C/7	MIG-A	4	तेरह
36	4/C/14	MIG-A	4	तेरह
37	4/C/21	MIG-A	4	तेरह
38	4/C/24	MIG-A	4	तेरह

39	4/C/27	MIG-A	4	तेरह
40	4/C/33	MIG-A	4	तेरह
41	4/C/49	MIG-A	4	तेरह
42	4/C/52	MIG-A	4	तेरह
43	4/C/58	MIG-A	4	तेरह
44	4/C/61	MIG-A	4	तेरह
45	4/C/62	MIG-A	4	तेरह
46	4/C/74	MIG-A	4	तेरह
47	4/C/77	MIG-A	4	तेरह
48	4/C/78	MIG-A	4	तेरह
49	4/D/51	MIG-A	4	तेरह
50	4/D/53	MIG-A	4	तेरह
51	4/D/60	MIG-A	4	तेरह
52	4/D/61	MIG-A	4	तेरह
53	4/D/63	MIG-A	4	तेरह
54	4/D/64	MIG-A	4	तेरह
55	4/D/23	MIG-A	4	तेरह
56	4/C/73	MIG-A	4	तेरह
57	9D/M1/14	MIG-A	9	तेरह
58	9F/M1/13	MIG-A	9	तेरह
59	9H/M1/6	MIG-A	9	तेरह

कुल - 59 फ्लैट्स

खुली बिक्री योग्य फ्लैटों के निस्तारण से पूर्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1191 दिनांक 27.03.2017 में दर्शायी गई शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।

1. फ्लैटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लैट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आपय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लैटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लैटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लैट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियंता-प्रथम, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.म. जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा.आ.म. जयपुर।
7. आवासीय अभियंता खण्ड-प्रथम, द्वितीय, ग्यारह, तेरह रा.आ.म. जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) रा.आ.म. जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता को मेल करे।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०) रा.आ.म. जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक